

डिक्री व मुकदमे ईक्टदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहिता
न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
घोठारीन अधिकारी- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 337/2025

1. वज्ज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत नि.इन्द्रपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. विक्रम सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत नि.इन्द्रपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. प्रदीप सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत नि.इन्द्रपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ़

-वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र बख्तावरसिंह
2. श्रवण सिंह पुत्र बख्तावरसिंह
3. रामेश्वरी पुत्री बख्तावरसिंह
4. मुनी देवी पुत्री बख्तावरसिंह
5. सन्तोष पुत्री बख्तावरसिंह
6. सुगनी पत्नी बख्तारसिंह
- किरण कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह
- सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह
- अनूप कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
- मिमला पत्नी श्रवण सिंह
- तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जाभिन मुदर्ई श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिय मुदायला पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक न 18 एम.जे.डी ज.स.2071-2074 के खाता संख्या 58/43 मे 3.497 है व चक न 17 एम.जे.डी ज.स.2073-2076 के खाता संख्या 85/60 मे 0.543 है कृषि भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा व.हि.व तथा वादी संख्या 2 व 3 एव प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व.हि.व एव प्रतिवादी स 6 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काशतकर घोषित किया जाकर उक्त खातो से मृतक बख्तावर सिंह पुत्र मेघसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उपतानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज. नल मुद्लिक निल बाबत निल खर्चा

मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयादी तक अदा करे।

बसबल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
मंगीना